न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सांचोर

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदनः– 10/2016 अन्तर्गत धारा 251 ए, आर.टी.एक्ट.1955

अनवानः–

प्रार्थी

1 मूंगाराम पुत्र चेना
2 रमकु पत्नि चेना
3 सावलां पुत्र पुरा
4 दुदा पुत्र पुरा नाबालिग वली माता चोथी बेवा पुरा
5 हमीराराम पुत्र विरदा
6 नेबाराम पुत्र विरदा
7 टीकमाराम पुत्र रतनाराम
8 गमना पुत्र अजा
9 राणा पुत्र अजा जातियान कलबी निवासी डूंगरा का गोलिया साचोंर

विप्रार्थीगण

1 प्रभु पुत्र तुलछा
2 समु बेवा तुलछा जातियान कलबी निवासी डूंगरा का गोलिया साचोंर
3 सरकार जरिये तहसीलदार सांचोर

सहायक कलेक्टर सांचोर जिला जालोर (राज.)

वकील प्रार्थीः– श्री सगताराम चोधरी
वकील विप्रार्थीगणः– श्री पुरूषोतम दवे

निर्णय दिनांक 28.01.20

प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस प्रकार पेश किया है कि मौजा डुगरा का गोलिया पटवार हल्का साचोंर में प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1649,1650,1651,1652 जुमले रकबा 7.94 हैक्टर किस्म बारानी दोयम आया हुआ है जो प्रार्थीगण के बन्ट कब्जा काश्तसुदा है उक्त खेतों में प्रार्थीगण के आने जाने के लिए आवागमन का रास्ता प्रयोजनार्थ की भूमि व प्रार्थीगण के उपयोग के लिए राजस्व रेकार्ड में नही है उक्त रास्ता भूमि हेतु पारस्पिरिक सहमति से तय नही हो पा रहा है। उक्त खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की प्रार्थीगण को अत्यन्त आवश्यकता है अतः रास्ते की भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखत किया जाना न्यायसंगत है इस हेतु प्रार्थना पत्र पेश है प्रार्थीगण के उक्त खेत गांव डूंगरा का गोलिया साचोंर में होने से प्रार्थीगण के खेत में जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता सरहद मौजा डूंगरा का गोलिया साचोंर के खसरा नम्बर 1648 में से उपर्युक्त रहेगा। जो नक्शा प्रदर्श अ में ए से बी भाग दर्शाया है जो मोंके पर जागीरी समय का है लेकिन राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने से अप्रार्थीगण बार बार बन्द कर देते है। अब भी अप्रार्थीगण ने रास्ते में काटें डालकर अवरोध किया है ऐसी सुरत में प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1649,1650,1651,1652, जुमले रकबा 7.94 हैक्टर मोजा डूंगरा का गोलिया साचोंर में जाने के लिए ग्राम डूंगरा का गोलिया के खसरा नम्बर 1648 में से नक्शें में वर्णीत लाल स्याही की भूमि के उपयोग के लिए रास्ते की भूमि को घोषित करने के लिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया है खसरानम्बर 1648 रकबा 4.70 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मेंसे 5 मीटर चोडा रास्ते भूमि संलग्न नक्शे में मार्क ए से बी प्रार्थीगण को रास्ते के लिए प्रयोजनार्थ अत्यन्त आवश्यक है। आवागमन उपयोग

28.1.2020

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned by CamScanner

सुविधाजनक है इसके अलावा अन्य कोई रास्ते की भूमि का कटाण रास्ते से आवेदक के खेत तक पहुचने का निकटतम रास्ता नही है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण का जागीरी समय का है। जो आवागमन के लिए उपयोग किया जा रहा है। इस कारण उक्त भूमि को आवेदक के उपयोग आवागम रास्ते हेतु सुविधा के लिए राजस्व अभिलेख में अभिलिखित किया जावे। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी पक्षकार द्वारा निम्न दस्तावेज पेश किए।

1 नकल जमाबन्दी सवंत 2069–2072 खाता संख्या 151 ग्राम डूंगरा का गोलिया पटवार हल्का सांचोर
2 नकल जमाबन्दी सवंत 2069–2072 खाता संख्या 110 ग्राम डूंगरा का गोलिया पटवार हल्का सांचोर
3 नक्शा किश्तवार ग्राम डूगरा का गोलिया हल्का सांचोर
4 नक्शा प्रर्दश अ ग्राम डूंगरा का गोलिया साचौर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपना जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अप्रार्थी प्रभु पुत्र तुलछा,शकंरलाल,सुरेश पिता प्रभु कोम सुथार निवासी डूंगरा का गोलिया साचोंर के निवासी है। अप्रार्थीगण के सयुंक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 501/3014 ,502/3015 ,1648 कुल रकबा 2.26 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 3854/3014 ,3855/3015 ,3856/1648,1647/3016 कुल रकबा 2.84 हैक्टर एंव खसरा नमबर 1620,3852/1518 कुल रकबा 1.16 हैक्टर उक्त सभी खेत अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त आये हुए है उक्त खेतों में अप्रार्थीगण के आने जाने के लिए रास्ते हेतु खेत खसरा नम्बर 501/3014 ,502/3015,1648,3854/3014,3855/3015,3856/1648 ,1647/3016के लिए रास्ता मोजूद है किन्तु खेत खसरा नम्बर 1620,3852/1588 व 1586,1587,1588 के लिए राजस्व रेकार्ड में रास्ता उपलब्ध नही हो रहा है। जबकि उक्त खेतों मे आवागमन हेतु दोनो पक्षों को आवश्यकता है तथा वर्तमान में मोके पर भी रास्ता बदस्तूर है जिसको राजस्व रेकार्ड में व नक्शा में अभिलिखत व तरमीम किया जाना न्यायसंगत है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण द्वारा आधा अधुरा नक्शा प्रदर्श अ में पेश किया है जबकि मोके पर रास्ता चल रहा है। व काउन्टर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा प्रदर्श में मार्क अ से ब व उसके आगे रास्ता मोजूद है वहॉ तक जाता है प्रार्थीगण द्वारा हम अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत संख्या 1648 में से रास्ते की मांग की है तो प्रार्थीगण स्वयं हम अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1586,1587,1588 व 1620 में जाने हेतु प्रार्थीगण के खेत खसरा नमबर 1651 व1652 में से होकर आगे खेत खसरा नम्बर 1660 में स्थित रास्ते से होकर चलता है यदि प्रार्थीगण उनके खेत खसरा नम्बर 1651 व 1652 में मोजुद मोके की स्थिति के अनुसार चल रहे रास्ते की भूमि को राजस्व रेकार्ड व नक्शा में अभिलिखीत व तरमीम रास्ता प्रयोजनार्थ करवाते है तो हम प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1648 व 1647/3016 में से रास्ते भूमि राजस्व रेकार्ड व नक्शा में अभिखित व तरमीम करवाने हेतु तैयार है। ऐसी सुरत में हम अप्रार्थीगण अपने खेतो में जाने हेतु प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1651 व 1652 में से नक्शा प्रर्दश ब में वर्णीत लाल स्याही से दर्शित भूमि रास्ते की उपयोग उपभोग के लिए रास्ता घोषित करवाने के लिए जवाब मंय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश करते है। अतः जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा डूंगरा का गोलिया के खेत खसरा नम्बर 1648,1647/3016 में से 5 मीटर चोडा रास्ता हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार हम अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते राजस्व रेकार्ड मे अभिलिखीत एंव तरमीम प्रार्थीगण करवाना चाहते है तो प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1651 व 1652 में से संलग्न नक्शा प्रदर्श ब अनुसार 5 मीटर चोडाई में प्रार्थीगण भी हम अप्रार्थीगण अन्य खेतो में आने जाने हेतु राजस्व रेकार्ड व नक्शे में अभिलिखित व तरमीम करावे तो हम अप्रार्थीगण की पूर्ण सहमति है उक्त दोनों पक्षकार की रास्ते हेतु चाही गई भूमि का क्षेत्रफल समान होने से किसी भी पक्षकार को विशेष लाभ या नुकशान भी नहीं हो रहा है। यदि प्रार्थीगण सहमत होते है तो उक्त दोनो

.1.2020

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned by CamScanner

पक्षकारान द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि को राजस्व रेकार्ड व नक्शा में अभिलिखीत एंव तरमीम किये जाने के आदेश फरमावे।

दिनांक 3.12.19 तहसीलदार से मोका जांच रिपोर्ट तलब की गई जिसकी पालना में दिनांक 20.12.19 को मोका जांच रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त हुई मौका जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शे के अनुसार लाल स्याही से दर्शाये गये स्थल पर मोके पर ग्रेवल सडक बनी हुई है जिसकी बिन्दुवार स्थिति निम्नानुसार है।

(1) खसरा संख्या 3856/1648 रकबा 2.66 हैक्टर किस्म बारानी दोयम खातेदार प्रभु वल्द तुलछाराम ,शंकराराम ,सुरेश पिसरान प्रभुराम कौम सुथार के नाम से दर्ज भूमि में से 140 मीटर गुणा 5 मीटर बराबर 700 वर्ग मीटर या 0.07 हैक्टर भूमि पर ग्रेवल सडक बनी हुई है।

(2) खसरा नम्बर 1647/3016 रकबा 0.05 हैक्टर खातेदार प्रभु वल्द तुलछा, शंकराराम , सुरेश पिसरान प्रभु जाति सुथार के नाम से दर्ज भूमि में से 72 गुणा 5 मीटर बराबर 360 वर्ग मीटर यानि 0.036 हैक्टर भूमि पर मौके पर मार्ग है तथा ग्रेवल सडक बनी हुई है।

(3) खसरा संख्या 1652 रकबा 1.80 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मुगांराम वल्द चेना , रमकु पत्नि चेना , सावला ,दुदा पिसरान पुरा , टिकमा वल्द रतना ,गमना,राणा पिसरान अजा जाति कलबी के नाम दर्ज भूमि के उत्तरी चोर की और 36 गुणा 5 मीटर बराबर 180 मीटर व पश्चिमी किनारे की और से 184 गुणा 2 मीटर बराबर 368 वर्ग मीटर जुमले रकबा 548 वर्ग मीटर यानि 0.0548 हैक्टर भूमि पर ग्रेवल सडक बनी हुई है।

(4) खसरा संख्या 1651 रकबा 1.82 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मुंगाराम वगैरा के नाम से दर्ज भूमि की पुर्वी माठ पर 184 मीटर गुणा 3 मीटर बराबर 552 वर्ग मीटर यानि 0.0552 हैक्टर भूमि पर ग्रेवल सडक बनी हुई है।

उक्त चारों बिन्दुओं पर बनी ग्रेवल सडक खसरा नम्बर 1660 की उत्तरी माठ जो खसरा संख्या 1651 व 1652 से लगती सीमा तक जाती है। साचोंर से अगार जाने वाली सडक से खसरा नम्बर 1660 उक्त प्रस्तावित मार्ग सीधा जोडता है। खसरा संख्या 1660 को मार्ग से जोडने के लिए यह प्रस्तावित मार्ग सबसे नजदीक है।

प्रकरण पर उभयपक्षकारों के अधिवक्तागण की अन्तिम बहस सुनी गयी। वक्त बहस अधिवक्तागण ने जाहिर किया कि मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार उभय पक्ष रास्ते हेतु सहमत है। तथा दोनो ही पक्षकार रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले कोई प्रतिफल राशि प्राप्त नहीं करना चाहते है अतः मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 1651,1652,1647/3016 तथा 3856/1648 से होकर 5 मीटर चौडा रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जावे। बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी पक्षकार द्वारा अपने खेत खसरा संख्या 1649,1650,1651 व 1652 ग्राम डूगंरा का गोलिया से सडक से साचोंर अगार तक पहुचने के लिए कृषि कार्य व आवागमन हेतु 5 मीटर चौडे रास्ते की मांग की है जिसे प्रदर्श अ में दर्शाया है अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णीत तथ्यों को सशर्त स्वीकार किया है और अपने खेत खसरा संख्या 1620,3852/1588,1586 ,1587 व 1588 हेतु पहुचने के लिए प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1651 व 1652 में से 5 मीटर चौडे रास्ते की मांग की है वक्त बहस प्रार्थी पक्षकार द्वारा अप्रार्थी पक्षकार के रास्ते के आवेदन को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया किया और दोनो ही पक्षकार एक दूसरे के खेत से गुजरने वाले रास्ते में जाने वाली भूमि लगभग समान होने के कारण बिना प्रतिफल रास्ता देना चाहते है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 1651 ,1652 1647/3016 व 3856/1648 से होकर जाना बताया है परन्तु रास्ते की चौडाई 5 मीटर है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned by CamScanner

जिस कारण खसरा संख्या 1651, 1652 में से एक साथ तरमीम होना सम्भवं नही है। प्रार्थीगण द्वारा इस पर निवेदन किया कि यदि केवल खसरा संख्या 1651,1647/3016 व 3056/1648 से होकर भी 5 मीटर चौडा रास्ता प्रस्तावित किया जाता है तो भी उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। इस पर अप्रार्थीगण द्वारा भी सहमति जाहिर की है।

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उभय पक्षकारान स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र उभय पक्षकार धारा अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। तथा खसरा संख्या 1651 व 1647/3016 व 3856/1648 की पूर्वी माठ से लगते हुए 5 मीटर चौडा रास्ता उभयपक्षकारों को बिना किसी प्रतिफल राशि के दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार साचोंर को लिखा जावे ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

28.1.2020

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
सहायक कलेक्टर
एंव उपखण्ड अधिकारी साचोंर

निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
सहायक कलेक्टर
एंव उपखण्ड अधिकारी साचोंर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इजिशियल्स, ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो ईस हुक्म की तामील में जारी हुए
	फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)	
11.02.2020	अप्रार्थी पक्षकार के रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली आज सुनवाई पर ली गई। उभयपक्षकारान उप०। प्रार्थना पत्र रिव्यू नि०अ० दिनांक 28.1.2020 अप्रार्थी पक्षकार द्वारा इस प्रकार पेश किया कि प्रार्थीगण की ओर से उनके खेत खसरा नम्बर 1649, 1650, 1651, 1652 जुमले रकबा 7.94 है० में आवागमन के लिए रास्ते की मांग करते हुए माननीय न्यायालय में अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मौका फर्द दिनांक 10.12.2019 में दर्शाये गये रास्ते बाबत सहमत हुये। लेकिन खसरा न. 1651 व 1652 के बीच की मार्ग पर आधा आधा रास्ता यानि आधा खसरा न. 1651 में से तथा आधा रास्ता खसरा न. 1652 में से दिये जाने बाबत रास्ते की तरमीम करने पर आने वाली बाधा के कारण खसरा न. 1651 में से पूर्वी मार्ग पर तथा खसरा न. 1652 की उत्तरी मार्ग पर मौका फर्द में दर्शाये गये लाल रंग अनुसार दोनो पक्षों में सहमति हुई। मौका फर्द अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया [signature]	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned by CamScanner

लेकिन मौका फर्द दिनांक 10.12.2019 में वर्णित खसरा नम्बर 1652 की उत्तरी माड पर रास्ता दिये जाने का आदेश पारित नहीं किया है। जिससे उक्त पूरा रास्ता प्रारम्भ से अन्तिम छोर तक नहीं जुड़ता है। जो रेकर्ड के देखने से ही दिखने वाली भूल है। जिसे सुधारा जाना न्यायसंगत है। अतः निर्णय दिनांक 20.1.2020 में खसरा नं. 1652 की उत्तरी माड पर मौका फर्द दिनांक 10.12.2019 माफिक रास्ता दिये जाने बाबत आदेश पारित किया जावे। प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण द्वारा No objection किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 1651, 1647/3016 व 3856/1648 की पूर्वी माड व खसरा संख्या 1652 की उत्तरी माड से लगते हुये 5 (पांच) मीटर चौड़ा रास्ता उभयपक्षकारों को बिना किसी प्रतिफल के दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार सांचोर को तहरीर जारी हो। निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

11.2.2020

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.02.12 11:27:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: